

फर्क अहकाम
काली देवी बनाम रामू व अन्य

प्राथमिक न्यायालय (फास्ट ट्रैक) आमेर

दिनांक 17/2024

क्रमा	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	23/7/24	पगावली पेशा हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। अधिवक्ता वादी द्वारा क्या चाहा गया है। कारण : पगावली वास्तु प्रति रिपोर्ट नोटीस प्रतिवादी गण 1, 2, 3 दिनांक 26/07/24 को पेश की	
	26/7/24	पगावली पेशा हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। अधिवक्ता वादी द्वारा क्या चाहा गया है। कारण : पगावली सावित्रानुसार दिनांक 08/08/24 को पेश की	
	08/8/24	पगावली पेशा हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। सावित्रानुसार फालनाथ प्रति रिपोर्ट नोटीस प्रतिवादी गण पेश की कर अधिवक्ता वादी द्वारा प्रकरण में "नोट प्रेस" अंकित किया गया है। तदनुसार प्रकरण को काग नहीं चलाना चाहते हैं। कारण : यूँकि वादी की होद से प्रकरण में Not press अंकित कर प्रकरण को काग नहीं चलाना चाहना सकत गिया गया है। कारण : वादी वादी Not Press के आधार पर स्वार्थि किया गया है। पगावली प्रकृत शुभा होकर करी ना कर ले कम है । बाद तफकील दाखिल दफतर है ।	

सहायक न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) आमेर
प्रथमालय - जयपुर

सहायक न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) आमेर
प्रथमालय - जयपुर

गोप्य
निमित्त
19

सहायक न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) आमेर
प्रथमालय - जयपुर